क्रम-संख्या–177(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार 19 मई, 2026
बैशाख 29, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त विभाग

संख्या बी-4–429/दस-10(41)-2003
लखनऊ, 19 मई, 2026

सामान्य अधिसूचना
राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का विक्रय और निर्गमन

उत्तर प्रदेश सरकार, अपनी अधिसूचना संख्या बी–4–1157/दस-10(41)/2003, दिनांक 20 जुलाई, 2007, के साथ पठित अधिसूचना संख्या बी–4–137/दस-2019–10(41)/2003, दिनांक 17 जुलाई, 2019 और अधिसूचना संख्या बी–4–188/दस-2019–10(41)/2003 दिनांक 3 अक्टूबर, 2019 का अधिक्रमण करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों (एतद्द्वारा जिसे 'प्रतिभूतियाँ' कहा गया है) के विक्रय तथा निर्गमन के निबन्धनों और शर्तों को अधिसूचित करती हैं।

2– नाम और प्रयोज्यता

(एक) यह अधिसूचना 'उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय और निर्गमन हेतु सामान्य अधिसूचना' कहलाएगी (एतद्द्वारा जिसे 'सामान्य अधिसूचना' कहा गया है)।

(दो) प्रतिभूतियों का विक्रय और निर्गमन इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट सामान्य निबंधन और शर्तों तथा किसी विशिष्ट प्रतिभूति के सृजन एवं निर्गमन के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत की जाने वाली किसी अन्य अधिसूचना के अधीन होगा (एतद्द्वारा जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है)।

3– उद्देश्य

इस अधिसूचना का उद्देश्य प्रतिभूतियों के निर्गमन पर प्रयोज्य होने वाले निबंधन और शर्तों, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों की विशेषताओं तथा उनके निर्गमन की विधियों का उल्लेख करना है। प्रतिभूतियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि की सुरक्षा पर निर्गत की जाएंगी।

4– प्रतिभूतियों के प्रकार

उत्तर प्रदेश सरकार, समय-समय पर निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ निर्गत कर सकती है:–

(i) निश्चित कूपन दर वाली प्रतिभूतियाँ–

(क) इन प्रतिभूतियों पर एक निश्चित कूपन दर होगी, जो अंकित मूल्य पर लागू होगी, जिसका विनिर्धारण नीलामी से अथवा अन्यथा, जैसा संगत विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, के अनुसार किया जाएगा तथा यह प्रतिभूतियों की अवधि तक अपरिवर्तित रहेगी।

(ख) प्रतिभूतियाँ अंकित मूल्य पर छूट देकर (डिस्काउंट), सममूल्य पर अथवा अधिक मूल्य (प्रीमियम) पर निर्गत की जा सकती हैं।

(ग) निर्गत की जाने वाली प्रतिभूतियों की मूल परिपक्वता अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी।

(घ) प्रतिभूतियाँ अंकित मूल्य पर अथवा विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार की जाएंगी।

(ii) सुसंगत विनिर्दिष्ट अधिसूचना में यथा अधिसूचित अन्य विशेषताओं वाली प्रतिभूतियाँ ।

5– सामान्य निबंधन और शर्तें

समस्त प्रतिभूतियों की विक्रय एवं निर्गमन पर लागू सामान्य निबंधन एवं शर्तें निम्नलिखित होंगीः–

(एक) पात्र निवेशक

(क) भारत में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगमित निकाय, संस्थान, अन्य राज्य सरकारें, विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश, भविष्य निधि, पेंशन निधि, न्यास, हिंदू अविभाजित परिवार तथा व्यक्ति को सम्मिलित करते हुए परंतु इन तक सीमित नहीं।

(ख) भारत के बाहर निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण साधन) विनियम, 2019 के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति हो।

(दो) प्रतिभूतियों के विक्रय और निर्गमन की प्रक्रिया

प्रतिभूतियों के विक्रय और निर्गमन से संबंधित परिचालन प्रक्रिया तथा अन्य विवरण, जैसे निर्गमन की तिथि एवं स्थान, अवधि, निर्गमन की विधि आदि की घोषणा भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके अथवा ऐसे अन्य माध्यमों से की जाएगी जिन्हें आवश्यक समझा जाएगा।

(तीन) प्रपत्र

प्रतिभूतियाँ निवेशकों को रिजर्व बैंक में रक्षित उनके एसजीएल[1] (सहायक सामान्य बही खाता) खाते अथवा सीएसजीएल[2] (घटक सहायक सामान्य बही खाता) खाते में जमा के रूप में सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमन्य किसी अन्य स्वरुप में निर्गत की जाएंगी।

(चार) न्यूनतम अंशदान

प्रतिभूतियाँ न्यूनतम ₹10,000 (अंकित मूल्य) की राशि के लिए तथा उसके पश्चात ₹10,000 के गुणकों में, अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से विनिर्दिष्ट किसी अन्य राशि में निर्गत की जाएंगी।

(पांच) भुगतान

सफल सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल)/घटक सहायक बही खाता (सीएसजीएल) धारकों द्वारा विशिष्ट अधिसूचना में यथावर्णित अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट तिथियों पर, उनके रिज़र्व बैंक स्थित चालू खाते को डेबिट किये जाने के प्राधिकार या इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण या रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य माध्यमों से भुगतान किया जाएगा।

(छः) कूपन

(क) प्रतिभूतियों पर देय कूपन का भुगतान रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों (पीडीओ) द्वारा किया जाएगा। रिज़र्व बैंक/एजेंसी के किसी भी कार्यालय में बॉन्ड लेजर खाते में धारित प्रतिभूतियों पर कूपन का भुगतान उसी कार्यालय/एजेंसी में किया जाएगा, जैसा कि इस सम्बंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) कूपन राशि को निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित (राउंड ऑफ) करके भुगतान किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा तथा पचास पैसे या उससे अधिक को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

[1]सहायक सामान्य बही खाता (एसजीएल) का अर्थ है वह खाता जो सरकारी प्रतिभूतियों को रखने और/या उसमे लेनदेन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास खोला और रखा जाता है।

[2]सीएसजीएल, एसजीएल खाता है जिसे किसी किसी अभिकर्ता उस अभिकर्ता के संघटक की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक में खोला और रखा जाता है।

(सात) पुनर्भुगतान

(क) प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान रिज़र्व बैंक के लोक ऋण कार्यालयों अथवा उस किसी अन्य संस्था में किया जाएगा, जहाँ वे पुनर्भुगतान के समय पंजीकृत हों।

(ख) प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मोचन तिथि पर अथवा राज्य सरकार/विकल्पधारक द्वारा अंतर्निहित विकल्प के प्रयोग की स्थिति में, विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व किया जा सकता है।

(ग) प्रतिभूतियों को उनके विनिर्दिष्ट मोचन तिथि से पूर्व, रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् विनिर्धारित किसी भी तिथि को, बायबैक नीलामी के माध्यम से विनिर्धारित मूल्य पर वापस खरीदा जा सकता है।

(आठ) हस्तांतरणीयता

(क) प्रतिभूतियों का नवीनीकरण, उप-विभाजन, एकीकरण, रूपांतरण अथवा हस्तांतरण सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 तथा इस अधिसूचना एवं इस सम्बंध में जारी की जाने वाली अन्य अधिसूचनाओं के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) एक रूप से दूसरे रूप में प्रतिभूति का रूपांतरण सम्बंधित विशिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

(ग) भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का हस्तांतरण विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों एवं उनके अधीन जारी निर्देशों के अधीन होगा।

(नौ) प्रयोज्य विधियाँ

(क) प्रतिभूतियों में अंशदान करने वाले अथवा उन्हें धारित करने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत विनिर्मित सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 तथा इस अधिसूचना एवं समय-समय पर जारी की जाने वाली अन्य अधिसूचनाओं के अनुसार विनिर्धारित होंगे।

(ख) भारत में तत्समय प्रचलित कर विधियों के प्रावधान, निवेशक अथवा प्रतिभूति धारक की कर देयता के विनिर्धारण एवं आकलन के प्रयोजनार्थ लागू होंगे।

(ग) प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

6– प्रतिभूतियों के निर्गमन की रीति

उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित रीतियों से प्रतिभूतियों का निर्गमन कर सकती हैः–

(एक) नीलामी के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन

(क) प्रतिभूतियों का निर्गमन प्रतिफल (यील्ड) आधार अथवा मूल्य (प्राईस) आधार पर नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। जहां आवधिक कूपन के भुगतान वाली प्रतिभूति का निर्गमन प्रतिफल के आधार पर है, कूपन का विनिर्धारण रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी जैसा यहाँ इसके पश्चात् प्रावधानित है या विशिष्ट अधिसूचना में उल्लिखित हो, किया जायेगा। जहाँ आवधिक कूपन के भुगतान वाली प्रतिभूतियों का निर्गमन मूल्य आधार पर हो, कूपन पूर्व–विनिर्धारित होगा।

(ख) नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धात्मक और अप्रतिस्पर्धात्मक दोनों प्रकार की बोलियाँ (बिड) रिज़र्व बैंक की कोर बैंकिंग प्रणाली अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्धारित किसी अन्य प्लेटफॉर्म/प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जाएंगी। आपवादिक परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक भौतिक रूप से बोली डालने की अनुमति दे सकता है।

(ग) प्रतिस्पर्धात्मक बोलीदाता समान अथवा भिन्न प्रतिफल दरों/मूल्यों पर एक से अधिक बोलियाँ प्रस्तुत कर सकता है। किसी नीलामी में आवेदक द्वारा प्रस्तुत बोलियों की सकल राशि अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होगी।

(घ) प्राप्त बोलियों के आधार पर रिज़र्व बैंक प्रकरणानुसार उस अधिकतम प्रतिफल दर अथवा न्यूनतम मूल्य का विनिर्धारण करेगा, जिस पर प्रतिभूतियों की खरीद हेतु बोलियाँ स्वीकार की जाएंगी। आवधिक कूपन भुगतान वाली प्रतिभूतियों की प्रतिफल आधारित नीलामी में विनिर्धारित अधिकतम प्रतिफल दर ही उन प्रतिभूतियों की वार्षिक कूपन दर होगी।

(ङ) खुदरा निवेशक, रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित अप्रतिस्पर्धात्मक बोली सुविधा योजना के अंतर्गत 'अप्रतिस्पर्धात्मक' आधार पर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(च) रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार के परामर्श से, 'विशिष्ट अधिसूचना' में विनिर्दिष्ट राशि तक अतिरिक्त अंशदान रख सकता है।

(छ) प्रतिभूतियों के निर्गमन (प्रतिफल आधार या मूल्य आधार) हेतु नीलामी 'एकसमान मूल्य' प्रविधि या 'बहुमूल्य' प्रविधि अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात समय-समय पर विनिर्धारित किसी अन्य प्रविधि के अनुसार आयोजित की जा सकती है।

(अ) जहाँ नीलामी 'एकसमान मूल्य' प्रविधि पर आयोजित की जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक बोलियाँ रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्धारित अधिकतम प्रतिफल दर अथवा न्यूनतम बोली मूल्य तक उसी अधिकतम प्रतिफल दर अथवा न्यूनतम मूल्य पर स्वीकार की जाएंगी। इससे अधिक प्रतिफल दर अथवा इससे कम मूल्य पर दी गई बोलियाँ अस्वीकृत की जाएंगी।

(ब) जहाँ नीलामी 'बहुमूल्य' प्रविधि पर आयोजित की जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक बोलियाँ रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्धारित अधिकतम प्रतिफल दर अथवा न्यूनतम बोली मूल्य तक, तत्संबंधी बोली दर पर स्वीकार की जाएंगी। प्रतिफल आधार पर नीलामी में, अधिकतम स्वीकार्य प्रतिफल दर से कम बोली लगाने वाले सफल बोलीदाताओं को मूल्य अंतर का भुगतान करना होगा। इससे अधिक प्रतिफल दर अथवा इससे कम मूल्य पर दी गई बोलियाँ अस्वीकृत की जाएंगी।

(ज) रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार के परामर्श से, बिना कोई कारण बताए किसी भी या समस्त बोलियों को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।

(दो) ऑन–टैप विक्रय के माध्यम से प्रतिभूतियों का निर्गमन

(क) ऑन–टैप विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों के सम्बंध में विनिर्गमित की जाने वाली राशि अधिसूचना में दर्शाई भी जा सकती है अथवा नहीं भी।

(ख) विधिवत भरे हुए एवं सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन, विनिर्दिष्ट तिथियों को रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित समय/बैंकिंग समय की समाप्ति से पूर्व, रिज़र्व बैंक के कार्यालय या इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित किसी अन्य कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) ऐसी प्रतिभूतियों का विक्रय पूरे वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए बढ़ाई जा सकती है तथा विक्रय किसी भी दिन, किसी भी समय या रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात् जैसा विनिर्धारित किया जाय, बंद की जा सकती है।

(घ) रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात, बिना कारण बताए किसी भी या समस्त बोलियों को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से अस्वीकार कर सकता है।

(तीन) अस्तित्वमान प्रतिभूतियों के रूपांतरण में नवीन प्रतिभूतियों की अदला–बदली/निर्गमन

(क) रिज़र्व बैंक, राज्य सरकार के परामर्श से, प्रतिभूति धारकों को, कुछ अस्तित्वमान प्रतिभूतियों को विनिर्दिष्ट मूल्य पर अथवा नीलामी द्वारा विनिर्धारित मूल्य पर अन्य प्रतिभूतियों में रूपांतरित करने का विकल्प प्रदान कर सकता है।

(ख) रिज़र्व बैंक, बिना कोई कारण बताये, किसी या समस्त बोलियों को या तो पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

(चार) कोई अन्य रीति, जिसे राज्य सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के साथ परमर्श से अधिसूचित किया जाये।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

———

No. B-4-429/X-10(41)-2003

Dated Lucknow, *May* 19, 2026

Sale and Issuance of State Government Securities

Government of Uttar Pradesh, in supersession of its notification no. B-4-1157/X-10(41)/2003 dated July 20, 2007 *read* with notification no. B-4-137/X-2019-10(41)/2003 dated July 17, 2019 and notification no. B-4-188/X-2019-10(41)/2003 dated October 3, 2019 hereby notifies the terms and conditions for sale and issuance of Government Securities issued by the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "Securities").

2. Name and Applicability

(i) This Notification shall be called as the 'General Notification for Sale and Issuance of Government Securities by the Government of Uttar Pradesh' (hereinafter referred to as 'General Notification').

(ii) Sale and issuance of Securities shall be subject to the general terms and conditions contained in this notification and any other notification that may be issued with respect to creation and issuance of any specific Security (hereinafter referred to as "Specific Notification").

3. Objective

The objective of this notification is to list out the terms and conditions applicable to issuance of Securities and certain features and methods of issue of different types of Securities. The Securities will be issued upon the security of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh in accordance with Article 293(1) of the Constitution of India.

4. Types of Securities

Government of Uttar Pradesh may issue, from time to time, the following types of Securities: –

(i) Fixed Coupon Rate Securities–

(a) Securities carry a specific coupon rate, applied to the face value, determined at auction or otherwise, as specified in relevant Specific Notification, and remain fixed during the tenor of the Securities.

(b) Securities may be issued at a discount, at par or at a premium to the face value.

(c) Securities may be issued with original maturity of not less than one year.

(d) Securities may be redeemed at face value or as specified in the Specific Notification.

(ii) Securities with other features as notified in the relevant Specific Notification.

5. General Terms and Conditions–

The general terms and conditions applicable to sale and issuance of all Securities will be as under:–

(i) Eligible Investors–

(a) Any person resident in India, including but not limited to firms, companies, corporate bodies, institutions, other State Governments, Union Territories with legislature, provident funds, pension funds, trusts, Hindu Undivided Family and individuals.

(b) Any person resident outside India permitted to invest in Securities in terms of the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019 issued under Foreign Exchange Management Act, 1999.

(ii) Procedure of Sale and Issue of Securities

The operational procedure and other details such as date and place of issuance, tenor, issuance method, *etc*., for sale and issue of securities, shall be announced by the Reserve Bank of India (the Reserve Bank) through a press release or such other means as may be considered necessary.

(iii) Form

Securities shall be issued to the investors by credit to their Subsidiary General Ledger[1] (SGL) account or to Constituents Subsidiary General Ledger[2] (CSGL) account, maintained with the Reserve Bank or in such other form as may be permitted under the provisions of the Government Securities Act, 2006.

(iv) Minimum Subscription

Securities will be issued for a minimum amount of ₹10,000 (Face Value) and in multiples of ₹10,000/- thereafter, or any other amount as specified by the Reserve Bank of India (RBI), in consultation with the State Government.

(v) Payment

Payment shall be made by the successful SGL/CSGL account holders on such dates as mentioned in the Specific Notification or as specified by the Reserve Bank, by means of an authority to debit their current account with the Reserve Bank or by Electronic Fund Transfer or any other means as stipulated by the Reserve Bank.

(vi) Coupon

(a) Coupon on Securities will be paid by the Public Debt Offices (PDOs) of the Reserve Bank. Coupon on Securities held in Bond Ledger Account with any of the offices of the Reserve Bank/Agency, as specified by the Reserve Bank in this behalf, will be paid at such Office/Agency.

(b) Coupon will be paid after rounding off the amount to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of coupon less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee, unless specified otherwise.

(vii) Repayment

(a) Securities will be repaid at PDO of the Reserve Bank or at any other institution at which they are registered at the time of repayment.

(b) Securities will be repaid on the date of redemption as specified in the Specific Notification or before their specified redemption dates in case of exercise of option by the State Government / option holder in Securities with embedded options, as the case may be.

(c) Securities may be bought back before their specified redemption date, at a price determined through a buyback auction, on any date determined by the Reserve Bank, in consultation with the State Government.

[1]A subsidiary General Ledger (SGL) Account shall mean an account opened and held with the Reserve Bank for holding or/and transacting in Government Securities.

[2] CSGL is the SGL account opened and maintained with the Reserve Bank by an agent on behalf of the constituent of such agent.

(viii) Transferability

(a) Securities can be renewed, sub-divided, consolidated, converted or transferred in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed there under and the terms of this notification and any other notification which may be issued in this regard.

(b) The conversion of security from one form to another will be subject to the conditions as per the Specific Notification.

(c) The transfer of Securities by person resident outside India shall be subject to Regulations framed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Directions issued there under.

(ix) Applicable Laws

(a) The rights of all persons subscribing to or holding the Securities shall be determined in accordance with the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Regulations, 2007 framed there under, *read* with the terms of this Notification and any other Notification as may be issued from time to time.

(b) The provisions of the tax laws, for the time being in force in India, will be applicable for the purpose of assessing and determining the tax liability of the investor or holder of the Securities.

(c) Any dispute in relation to the Securities shall be subject to the jurisdiction of the Courts in India.

6. Modes of issue of Securities

Government of Uttar Pradesh may issue Securities through following modes:–

(i) Issue of Securities through auction

(a) Securities will be issued through auction, either on yield basis or price basis. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on yield basis, the coupon is decided in an auction conducted by the Reserve Bank in the manner as provided hereinafter or as stated in the Specific Notification. Where the issue of the Securities paying periodic coupon is on price basis, the coupon will be pre- determined.

(b) Both competitive and non-competitive bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank's Core Banking Solution or any other platform/ system as decided by the Reserve Bank. The Reserve Bank may permit submission of physical bids under exceptional circumstances.

(c) Competitive bidder may submit multiple bids at same/different rates of yield or prices, as the case may be. The aggregate amount of bids submitted by an applicant in an auction should not exceed the notified amount.

(d) On the basis of the bids received, the Reserve Bank will determine the maximum rate of yield or the minimum price, as the case may be, at which bids for purchase of Securities will be accepted in the auction. Maximum rate of yield determined in a yield-based auction for the Securities paying periodic coupon will be the per annum coupon rate for those Securities.

(e) Retail Investors can participate in an auction on 'non-competitive' basis as per the extant Scheme of Non-competitive Bidding Facility announced by the Reserve Bank.

(f) The Reserve Bank, in consultation with the State Government, may retain additional subscription up to an amount as may be specified in the 'Specific Notification'.

(g) The auction for issue of Securities (yield basis or price basis) can be held as per 'Uniform price' method or 'Multiple price' method or any other method as decided by the Reserve Bank, in consultation with State Government from time to time.

(A) Where an auction is held as per 'Uniform price' method, competitive bids with rates up to and including the maximum rate of yield or the prices up to and including the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank, will be accepted at the maximum rate of yield or minimum bid price. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected.

(B) Where an auction is held on 'Multiple price' method, competitive bids up to the maximum rate of yield or the minimum bid price, as determined by the Reserve Bank will be accepted at the respective bid rate. In yield-based auction, successful bidders, whose quotes are lower than the maximum rate of yield accepted, are required to pay the price differential. Bids quoted higher than the maximum rate of yield or lower than the minimum price, so determined, will be rejected.

(h) The Reserve Bank, in consultation with State Government, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

(ii) Issue of Securities through On-tap sale

(a) The amount of issuance may be/may not be indicated in the notification in respect of the Securities sold on-tap.

(b) Applications, duly filled in and complete in all respect, should be submitted to the office of the Reserve Bank or any other office notified for the purpose, before the close of specified time/banking hours notified by the Reserve Bank on the specified date(s).

(c) Sale of such Securities may be extended to whole, or part of the year and the sale may be closed at any time on any day or as specified by the Reserve Bank, in consultation with the State Government.

(d) The Reserve Bank, in consultation with the State Government, may reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

(iii) Switching/ Issue of new Securities in conversion of existing Securities

(a) The Reserve Bank, in consultation with the State Government, may provide the holders of Securities an option to convert certain existing Securities into other Securities at specified price or at a price as determined in auction.

(b) The Reserve Bank may accept or reject any or all bids either wholly or partially, without assigning any reason thereof.

(iv) Any other mode, as may be notified by the State Government, in consultation with the Reserve Bank.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Apar Mukhya Sachiv,
Finance Department,
Government of Uttar Pradesh.

पी0एस0यू0पी–ए0पी0 153 राजपत्र–2026–(302)–588+25=613 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

153 RPH 2026 (vitt vibhag) Data 1e